

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/लेखाकार/पदस्थापन/12/2743


दिनांक:- 6/12/12

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक प1(1)कार्मिक/लेखाकार/पदस्थापन/12/2603, दिनांक 23.11.12 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. क्रम संख्या 6 पर अंकित श्री कमल किशोर गोयल के संबंध में कालम संख्या 4 में खण्ड-पी.एच.ई.द्वितीय, जयपुर के स्थान पर खण्ड-13, जयपुर किया जाता है।
2. क्रम संख्या 7 पर अंकित श्री घनश्याम कुमावत के संबंध में कालम संख्या 3 में खण्ड-पंचम, जयपुर के स्थान पर खण्ड-तृतीय, जयपुर एवं कालम संख्या 4 में लागत प्रको.मु. के स्थान पर खण्ड-तृतीय, जयपुर किया जाता है।
3. क्रम संख्या 19 पर अंकित श्रीमती पुष्पा परचवानी के संबंध में कालम संख्या 4 में वृत्त-प्रथम, जयपुर के स्थान पर खण्ड-विद्युत, मुख्यालय किया जाता है।
4. क्रम संख्या 22 पर अंकित श्री सूरजभान सामोदा के संबंध में कालम संख्या 4 में खण्ड-विद्युत, मुख्यालय के स्थान पर वृत्त-प्रथम, जयपुर किया जाता है।
5. क्रम संख्या 5 पर अंकित श्री राजेन्द्र कुमार माथुर के संबंध में कालम संख्या 4 में संकलन प्रको.मु. के स्थान पर पी.एफ.प्रको.मु. जयपुर किया जाता है।
6. आदेश क्रमांक 2607 के क्रम संख्या 3 पर अंकित श्री राजेन्द्र कुमार जैन के संबंध में कालम संख्या 4 में खण्ड-पाली के स्थान पर खण्ड-पी.एच.ई.द्वितीय, जयपुर किया जाता है।
7. क्रम संख्या 10 पर अंकित श्री हीरालाल के संबंध में कालम संख्या 4 में खण्ड-झुन्झुनू के स्थान पर लागत प्रको. मु. जयपुर किया जाता है।
8. क्रम संख्या 1 पर अंकित श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता के संबंध में कालम संख्या 4 में संकलन प्रको. मु. के स्थान पर खण्ड-प्रथम, जयपुर किया जाता है।
9. क्रम संख्या 8 पर अंकित श्री महेन्द्र कुमार शर्मा के संबंध में कालम संख्या 4 में खण्ड-9, जयपुर के स्थान पर संकलन प्रको. मु. जयपुर किया जाता है।
10. आदेश क्रमांक 2604 के क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री गोपाल चन्द शर्मा के संबंध में कालम संख्या 4 में खण्ड-प्रथम, बीकानेर के स्थान पर पी.एफ.प्रको.मु., जयपुर किया जाता है।
11. क्रम संख्या 18 पर अंकित श्री जसमीत सिंह के संबंध में कालम संख्या 4 में खण्ड-प्रथम, जयपुर के स्थान पर भुगतान प्रको. मु. जयपुर किया जाता है।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष / आवासन आयुक्त / मुख्य अभियन्ता, रा0आ0मंडल, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव / वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा0आ0मंडल, जयपुर।
3. मुख्य महा प्रबन्धक, राज.आ.वि. एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / उप आवासन आयुक्त वृत्त.....
5. आवासीय अभियन्ता, खंड.....
6. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज0 आवासन मंडल, जयपुर।
7. लेखाधिकारी भुगतान / एसीआर / गोपनीय / विधि प्रकोष्ठ, रा0आ0मंडल, जयपुर।
8. संबंधित श्री
9. संबंधित की निजी पत्रावली।
10. रक्षित पत्रावली


सचिव